डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री जी0एल0 मीना (R.A.S.)**

1. प्रेमदेई पत्नी बच्चूसिंह आयु 50 वर्ष जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
2. राजवीर पुत्र बच्चूसिंह आयु 35 वर्ष जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
3. पप्पू पुत्र बच्चूसिंह आयु 19 वर्ष जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी अपाहिज मन्द बुद्धि सरपरस्ती माँ प्रेमदेई (लाऔलाद फौत)

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नी रामस्वरूप जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
2. राकेश पुत्र रामस्वरूप जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
3. ध्रुव पुत्र रामस्वरूप जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
4. सुनीता पुत्री रामस्वरूप पत्नी कदमगिरि जाति गुसांई निवासी ग्राम पिपरौन तह0 बसेडी
5. ममता पुत्री रामस्वरूप पत्नी बनवारी जाति गुसांई निवासी ग्राम सिंगौरई तह0 बाडी
6. दीवान पुत्र छत्तर जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
7. महावीर पुत्र छत्तर जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
8. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील बाडी

दावा दावत

मुकदमा नं. **47 / 2013**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री रामनिवास मित्तल एड0** मिनजानिव मुददई **श्री**
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीगण तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम रहल में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. प्रेमदेवी पत्नी व राजवीर पुत्र बच्चू जाति गुसांई सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
861 / 1	0–07	बा0दो0	1.29

2. रामस्वरूप पुत्र छत्तर हि0 1 / 3 व दीवान, महावीर, पुत्र छत्तरसिंह हि0ब0 2 / 3 जाति गुसांई सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
861 / 2	1–02	बा0दो0	4.08

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि बाद बंटवारा वादीगण के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें।

नीज .... मुबलिग.................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर ....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 06 साल 2016 को जारी की गई।

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनतनामा वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बालत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

प्रेमदेई बनाम लक्ष्मी

1. प्रेमदेई पत्नी बच्चूसिंह जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
2. राजवीर पुत्र बच्चूसिंह जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
3. पप्पू पुत्र बच्चूसिंह जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी अपाहिज मन्द बुद्धि सरपरस्ती माँ प्रेमदेई (लाऔलाद फौत)

वादीगण :–

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नी रामस्वरूप जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
2. राकेश पुत्र रामस्वरूप जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
3. ध्रुव पुत्र रामस्वरूप जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
4. सुनीता पुत्री रामस्वरूप पत्नी कदमगिरि जाति गुसांई निवासी ग्राम पिपरौन तह0 बसेडी
5. ममता पुत्री रामस्वरूप पत्नी बनवारी जाति गुसांई निवासी ग्राम सिंगौरई तह0 बाडी
6. दीवान पुत्र छत्तर जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
7. महावीर पुत्र छत्तर जाति गुसांई निवासी ग्राम मठ रहल तह0 बाडी
8. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील बाडी

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीगण के वकील – श्री रामनिवास मित्तल एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0 अधि

दिनांक :– 16.06.2016

दावा सं. 47 / 2013

निर्णय

वादीगण द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया कि :–

आराजी ख0नं0 861 / 1–09 बांके ग्रारम रहल तह0 बाडी में स्थित
विवादित आराजीयात में वादीगण हिस्सा 1 / 4, प्रति0 सं0 1 लगा0 5 हि0 1 / 4,
सं0 6 हि0 1 / 4, प्रति0 सं0 7 हि0 1 / 4 के खातेदार काश्तकार काबिज है। वि
आराजी का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रति0 ने इस वर्ष उक्त आराजी
उसको हिस्से के गल्ले को नहीं दिया व कहा कि भाग जा तुझे तेरा हिस्सा नहीं दें
ही काश्त करने देंगे। जब वादीगण ने प्रति0 से कहा कि हमारा हिस्सा अलग कर

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

कहा कि हम तुझे तेरा खेत नहीं देंगे। हमारा भाई मर गया। अब किस बात का हिस्सा है। प्रति0 ने बंटवारा करने से इंकार कर दिया तथा वादीगण को धमकी दी कि अगर तू काश्त करने आई तो तेरा सिर फोड देंगे। उपरोक्त धमकी से वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजी का बंटवारा न्यायालय से कराकर अपना हिस्सा 1/4 अलग कराकर अलग खाता व लगान कायम करावे तथा प्रति0 को पावन्द करावे कि वह विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल कर कब्जा नहीं करें। काश्त करने से नहीं रोकें वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करें न हीं अन्य से करावें। यदि प्रति0 को पावन्द नहीं किया गया तो वह निश्चित ही विवादित आराजी पर वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे व बेदखल कर कब्जा कर लेंगे व सिंचा नहीं करने देंगे। जिससे वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूति धन व हर्जे से किस प्रकार संभव नहीं होगी।

इस प्रकार दावा में वादीगण ने निवेदन किया कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 861/1–09 बांके ग्रारम रहल तह0 बाडी व बंटवारा माप व सीमा चिन्हों से किया जाकर वादीगण हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 1 लगा0 हि0 1/4, प्रति0 सं0 6 हि0 1/4, प्रति0 सं0 7 हि0 1/4 पृथक पृथक किया जाव पृथक पृथक लगान व खाता कायम किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाव किया जावे कि विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल कर कब्जा नहीं करें। का करने से नहीं रोकें। कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा न करें। न अन्य किसी से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब कि गया। प्रति0 उपस्थित न्यायालय आये। पत्रावली कोर्ट कैम्प रूपसपुर में रखी गई। उ पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वादीगण को सुना ग पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी में वादीगण प्रति0 के साथ ही सह खातेदार रा0का0अधि0 के मुताबिक प्रत्येक सह खातेदार अपनी सह खातेदारी की प्रत्येक इंच ज का मालिक होता है जब तक कि उसका बंटवारा न हो जाये। अतः वादीगण का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। कोर्ट कैम्प रूपसपुर में ही तहसीलदार बाडी मौके के अनुसार कुर्रेजात मंगाये गये। तहसीलदार बाडी द्वारा प्रश्नगत आराजी म वादीगण का हिस्सा अलग व प्रति0 का हिस्सा अलग कर मौके पर ही कुर्रेजात तैयार प्रस्तुत किये। तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव एवं पत्रावली में उपलब्ध कि का पुनः अवलोकन किया गया। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर वादीगण का अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के अ पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रति0 के नाम तदनुरूप कि पटवार ग्राम रहल में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. प्रेमदेवी पत्नी व राजवीर पुत्र बच्चू जाति गुसांई सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
861/1	0–07	बा0दो0	1.29

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

2. रामस्वरूप पुत्र छत्तर हि0 1/3 व दीवान, महावीर, पुत्र छत्तरसिंह हि0ब0 2/3 जाति गुसांई सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
861/2	1–02	बा0दो0	4.08

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि बाद बंटवारा वादीगण के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प रूपसपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी